# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**सी0ए0 नं0-02/1996-97**

**जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा**

**बनाम्**

**मे0 मेकनली भारत एवं अन्य**

**—: आदेश :—**

दिनांक

04/01/22

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने नीलाम पत्र पदाधिकारी खनन–सह–उप निदेशक खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका के नीलाम पत्र वाद सं0–2/89–90 आदेश दिनांक–12.12.1995 के विरूद्ध दायर किया है।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा की ओर से सहायक सरकारी वकील का कथन है कि सर्वश्री मेकनली भारत इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड एवं सर्वश्री गैनन उनकर्ली द्वारा सर्वश्री ई0सी0एल0, राजमहल परियोजना, ललमटिया के सी0एच0पी0 प्लान्ट इत्यादि के निर्माण में वृहत पैमाने पर लघु खनिज पत्थर बोल्डर, मेटल, चिप्स, मुरम, बालू मिट्‌टी एवं ईंट का व्यवहार किया गया था। इस संबंध में व्यवहृत खनिज के बावत दोनों कम्पनियों को जिला खनन कार्यालय, गोड्डा के पत्रांक–521 दिनांक–19.08.1989 के द्वारा कारण बताओ नोटिश के साथ–साथ आपूरित खनिज का खनिज मूल्य 14,41,800.00 रू0 का मांग पत्र निर्गत किया गया था। जबाव अप्राप्त रहने के कारण उक्त राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र मुकदमा सं0–02/89–90 दायर किया गया। दिनांक–12.12.1995 को नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन–सह–उपनिदेशक, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका द्वारा आदेश पारित किया गया। पारित आदेश में निम्न बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है :–

1. सी0एच0पी0 तथा उससे संबंधी सड़क निर्माण में एक लाख घन फुट मुरम/मिट्‌टी का भी उपयोग किया गया है। मांग पत्र में भी उल्लेख था, परन्तु नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन–सह–उपनिदेशक, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका के पारित आदेश में उसपर विचार नहीं किया गया। जिससे सरकारी राजस्व की क्षति पहूँची है।

2. नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिनांक–12.12.1995 को पारित आदेश के पृष्ट सं0–6 में उल्लेखित है कि संवेदक द्वारा अगस्त, 91 तक 23,76,962 घन फुट पत्थर, 5,46,903 घन फुट बालू तथा 20,07,720 अदद ईंट के व्यवहार किया गया है। जिसके विरूद्ध 6,85,793 घन फुट पत्थर तथा 5,88,150 घन फुट बालू का परिवहन चालान दाखिल किया गया था। जिसमें 6,73,793 घन फुट पत्थर तथा 3,76,600 घन फुट बालू का परिवहन चालान सही पाया गया है। तत्पश्चात् अगस्त, 91 तक 3,29,117.90 रूपये का मांग सही दिखाया गया है (आदेश के पृष्ट संख्या–7 पर दर्शाया गया है)। जबकि उपलब्ध संचिका के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक–799/एम0 दिनांक–08.12.1995 जो नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका को सम्बोधित है, के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 2,00,350 घन फुट पत्थर तथा 60,250 घन फुट बालू का परिवहन चालान सही पाया गया है। इस तरह से पत्थर 21,76,612 घन फुट तथा बालू 4,86,653 घन फुट का स्वामित्व का निर्धारण होना चाहिए था। नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन प्रतिवेदन को दृष्टिगत नहीं किया गया एवं अपने अनुसार स्वामित्व की गणना की गई। फलस्वरूप सरकारी राशि का ह्रास हुआ है जो निम्न गणना के अनुसार दर्शाया जा रहा है :–

| खनिज | सही मात्रा एवं उस पर देय स्वामित्व | | माननीय न्या0 द्वारा दर्शाया गया मात्रा एवं देय स्वामित्व | | अन्तर मात्रा एवं देय स्वामित्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | घन मात्रा फुट | स्वामित्व | घन मात्रा फुट | स्वामित्व | घन मात्रा फुट | स्वामित्व |
| पत्थर | 21,76,612 | 3,70,024.00 | 17,03,369 | 2,89,571.90 | 4,73,243 | 80,452.10 |
| बालू | 4,86,653 | 41,365.51 | 1,70,303 | 14,446.00 | 3,16,350 | 26,919.51 |
| कुल | | 4,11,389.51 | | 3,04,017.90 | | 1,07,371.61 |

3. न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका माह सितम्बर, 91 से अगस्त, 94 तक 6,00,241 घन फुट पत्थर, 98,063 घन फुट बालू एवं 3,41,324 अदद ईंट के उपयोग का जिक्र है। जबकि देनदार के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद वर्ष 1989–90 में ही दायर की गई थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त व्यवहृत खनिज के स्वामित्व का भुगतान इस नीलाम पत्र मुकदमा से संबंध नहीं रखता है।

4. न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका द्वारा पारित आदेश में संवेदक द्वारा व्यवहृत मुरम का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि उक्त निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा एक लाख घन फुट

मुरम का भी उपयोग किया गया है। जिसका नियमानुसार स्वामित्व 6600.00 रू० देय होता है।

5\. न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका द्वारा पारित आदेश में सूद भी देय है। गणना करने पर पत्थर, बालू एवं मुरम पर नियमानुसार देय स्वामित्व 1,15,871.61 रू० एवं कुल स्वामित्व राशि 4,44,989.51 रू० पर पारित आदेश की तिथि तक देय सूद 2,66,993.71 रू० होता है जो कि कुल 3,82,865.32 रू० देय होता है। जिसकी वसूली प्रमुख नियोक्ता से किया जाना चाहिए। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील की काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नीलाम वाद सं0–2/96–97 दिनांक–25.08.1989 को दायर किया गया है एवं अधियाचना पत्र में खनन पदाधिकारी, देवघर द्वारा मेकनली भारत, ललगटिया एवं गैनन डंकली के नाम से 14,41,800.00 रू0 वसूली हेतु दायर किया है जो तथ्य एवं विधि के आलोक में चलने योग्य नहीं है। अधियाचना पत्र में किसी भी खनिज पदार्थ का विवरण नहीं दिया गया है एवं दोनों कम्पनियों के नाम से उपरोक्त राशि वसूली का वाद दायर किया गया है। दोनों कम्पनी का वाद 12.12.1995 को संतुष्टि के पश्चात समाप्त किया गया है। उपरोक्त वर्णित दोनों वादों का निष्पादन नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा 12.12.1995 को निर्णित किया गया है। दिनांक–12.12.1995 के निर्णय के विरूद्ध अपील 07.11.1996 को 207 दिन के बाद दायर किया गया है। सर्टिफिकेट एक्ट 1914 की धारा 60A के तहत 15 दिन के अंदर दायर करना था, लेकिन 207 दिन के वाद दायर किया गया है, जो कालवाधित है एवं विलम्ब का कोई युक्ति–युक्त एवं संतोष जनक उत्तर दिन प्रतिदिन का नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो जे0सी0आर0 2008 में दर्ज है, उसमें यह निर्धारित किया गया है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 3 के अनुसार न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अगर निर्धारित समय के तहत अगर कोई

वाद अपील एवं कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है तो उसे इस बिन्दु पर खारिज कर दिया जाय। अगर अपील कालबाधित है तो अपील खारिज किया जाय, वर्तमान अपील 2007 दिन बाद दायर किया गया है। मेकनली भारत द्वारा लघु खनिज जो प्राप्त किया एवं चालान आदि का पूर्ण विवरणी के साथ न्यायालय में 19.12.1989 को शपथ पत्र के साथ दायर किया, जिसका विवरण अभिलेख के पृष्ट 63 पर है देनदार उपयोग किया गया लघु खनिज स्वामित्व एवं शेष का भुगतान 5,01,177 रू0 कर दिया गया है। अतः अवैध खनिज का आरोप निराधार है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–68/1987 सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1369/87 पी0एल0जे0आर0 1987, पृष्ट 920 में वर्णित किया गया है कि संवेदक स्वामित्व एवं शेष भुगतान के लिए दायित्व नहीं है। पी0एल0जे0आर0 1981 पृष्ट 86, सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–232/1987 राँची बेंच विल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य वाद में पारित आदेश के आलोक में देनदार नीलामी वाद में निहित राशि का देनदार नहीं है। सभी निर्णयों का छायाप्रति अभिलेख पर संलग्न है। उक्त कार्य पाँच व्यक्तियों को आवंटित किया गया एवं 27.10.95 को शपथ पत्र दायर किया गया जो पृष्ट 230 से 235 अगस्त 89 तक एवं सितम्बर 1989 से 1991 तथा सितम्बर 91 से अगस्त 1994, पत्थर, बालु इसकी मात्रा को दर्शाया गया है जो दिनांक–26/28.08.1995 द्वारा अदा कर दिया गया है। अधियाचना पदाधिकारी द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक–17.11.94 पृष्ट 77 पर है एवं 08.12.95 पृष्ट 260–261 अभिलेख पर उपलब्ध है। अवैध खनिज का कोई नोटिश निर्गत नहीं किया गया है। अगस्त 1991 से तथा सितम्बर 91 से 1994 तक मेकनली भारत द्वारा व्यवहृत एवं वैध परिवहन चालान की मात्रा को घटाने पर 5,11,077.00 रू0 शेष एवं स्वामित्व राशि देय है। उक्त राशि के विरूद्ध 4,92,595.60 रू0 अदा किया है एवं 18,481.00 रू 40 पैसा दिनांक–12.12.95 को कोषागार चालान दिनांक–26.12.95 द्वारा अदा किया गया है एवं न्यायालय द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् नीलामी वाद सं0–2/89 समाप्त किया गया एवं पंजी 10 में दर्ज किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला राजमहल परियोजना ईस्टर्न कोल

फिल्ड लिमिटेड, ललमटिया के अन्तर्गत कोल हेन्डलिंग प्लान्ट निर्माण कार्य से संबंधित है। संवेदक सर्वक्षी मेकनली भारत इंजिनियरिंग एवं उप संवेदक मेमर्स गैगन इंकर्ली एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य में खनिज का व्यवहार किया गया था। निर्माण कार्य में व्यवहृत खनिजों का स्वामित्व का विवरण जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

| खनिज | सही मात्रा एवं उस पर देय स्वामित्व | | माननीय न्या0 द्वारा दर्शाया गया मात्रा एवं देय स्वामित्व | | अन्तर मात्रा एवं देय स्वामित्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | घन मात्रा फुट | स्वामित्व | घन मात्रा फुट | स्वामित्व | घन मात्रा फुट | स्वामित्व |
| पत्थर | 21,76,612 | 3,70,024.00 | 17,03,369 | 2,89,571.90 | 4,73,243 | 80,452.10 |
| बालू | 4,86,653 | 41,365.51 | 1,70,303 | 14,446.00 | 3,16,350 | 26,919.51 |
| कुल | | 4,11,389.51 | | 3,04,017.90 | | 1,07,371.61 |

अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में एक लाख घन फुट मुरम का भी व्यवहार में लाया गया था। जिसका स्वामित्व 8500.00 रू0 देय होता है। उनका यह भी कहना है कि पारित आदेश में निर्माण में व्यवहृत पत्थर, बालू एवं मुरम पर नियमानुसार देय राशि 1,15,871.61 रू0 है एवं पारित आदेश में अंकित राशि 4,44,989.51 रू0 का सूद 2,66,993.71 रू0 होता है। आदेश में सूद की राशि को जोड़ा नहीं गया है। इस प्रकार 1,15,871.61रू0 + 2,66,993.71 रू0 = 3,82,865.32 रू0 देय होता है। लेकिन निम्न न्यायालय के आदेश में अगस्त 91 तक उपयोग में लाये गये खनिज का स्वामित्व देय से संबंधित निम्न विवरण अंकित किया गया है :–

| अगस्त, 91 तक | | स्वामित्व |
|---|---|---|
| पत्थर– | 17,03,369 घन फुट | 2,89,571.90 |
| बालू– | 1,70,303 घन फुट | 14,446.00 |
| ईंट– | 20,07,720 नम्बर | 25,100.00 |
| | कुल :– | 3,29,117.90 |

जबकि देय राशि का सूद से संबंधित विवरण तथा मुरम का स्वामित्व का उल्लेख में आदेश में नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नीलाम पत्र पदाधिकारी खनन–सह–उप निदेशक खनन, संथाल परगना अंचल, दुमका के नीलाम पत्र वाद सं0–2/89–90 आदेश दिनांक–12.12.1995 के पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,

महागामा को आदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के पारित आदेश में देय राशि 3,82,665.32 रू० में अभी तक का सूद की राशि का गणना करके मुख्य नियोक्ता, राजमहल परियोजना, ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, ललमटिया से चार सप्ताह के अंदर वसूल करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

04/01/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

04/01/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

DB No-22
12.01.22

Seen
12

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:09:09 +05:30
Location: 192.168.29.8